भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 95*

24 जुलाई, 2018 को उत्तरार्थ

विषय: दालों का उत्पादन

***95. डॉ. उदित राजः**

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा देश में दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह)

(क) एवं (ख): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"दालों का उत्पादन" के संबंध में दिनांक 24 जुलाई, 2018 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 95 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) एवं (ख): जी हां। देश में दलहन के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए, भारत सरकार देश के 29 राज्यों के 638 जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन (एनएफएसएम-दलहन) लागू कर रही है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार देश में दलहन के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं/पहलें की हैं जो निम्न प्रकार हैं:

- संशोधित एनएफएसएम-दलहन के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में देश के 16 राज्यों के 468 जिले शामिल थे जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 29 राज्यों के 638 जिले हो गए।
- बीज उत्पादन करने वाली केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि में 25 रु. प्रति किलो से 50 रु. प्रति किलो तक वृद्धि;
- किसानों को दलहन के प्रमाणित बीजों के वितरण हेतु सहायता में 25 रु. प्रति किलो से 50 रु. प्रति किलो तक वृद्धि;
- कलस्टर प्रदर्शनों और क्रॉपिंग सिस्टम आधारित प्रदर्शनों के लागत मानदण्डों में क्रमश: 7500 रु. से 9000 रु. प्रति हैक्टेयर तक और 12500 रु. से 15000 रु. प्रति हैक्टेयर तक वृद्धि;
- खरीफ 2018-19 के दौरान तूर (अरहर) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 5450 रु. प्रति क्विंटल से 5675 रु. प्रति क्विंटल तक, मूंग में 5575 रु. प्रति क्विंटल से 6975 रु. प्रति क्विंटल तक, उड़द में 5400 रु. प्रति क्विंटल से 5600 रु. प्रति क्विंटल तक वृद्धि;
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) द्वारा किसानों के खेतों पर फ्रंट लाइन प्रदर्शन आयोजित करना;
- किसानों के बीच नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए दलहन के बीज मिनीकिटों का मुफ्त वितरण;
- गुणवत्तापूर्ण दलहन के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआर संस्थानों, एसएयू और केवीके पर बीज हबों का सृजन;
- आईसीआरए संस्थानों के माध्यम से दलहन के प्रजनक बीज उत्पादन में वृद्धि; दलहन के बफर स्टॉक का सृजन; पूर्वी राज्यों में लक्षित चावल परती क्षेत्रों (टीआरएफए) में दलहनों का प्रसार; और
- आयात शुल्क में वृद्धि। वर्तमान में, तूर में लगाया गया कर 10 प्रतिशत, काबुली चना, बंगाल चना, अन्य चना में 70 प्रतिशत, मसूर में 40 प्रतिशत और मटर में 50 प्रतिशत है।

****